E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001
मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7 Dated-3.10.2020
No-CSF /6-70/Agri /2020/

NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER under two Bid system are invited for sale of different type of standing trees at Central State Farm , Hisar situated at 10 km Sirsa Road , Hisar . Details of eligibility criteria. Tender Schedule and other terms and conditions can be viewed and downloaded from http:// indiaseeds .eproc.in & www. Indiaseeds.com

Particulars	Details
Date of issue of NIT	3.10.2020
Tender document down load start Date/ Time Tender document down load end date t/ time	4.10.2020 from 10.00AM 12.10.2020 Upto 2.30 PM
Start date & time for submission of online bid End date & time for submission of online bid	4.10.2020 from 10.00AM 12.10.2020 Upto 2.30 PM
Date and time of opening of Technical bid & Tender	12.10.2020 at 3.00 PM
Tender fee(to be deposited through Online RTGS/NEFT	Rs.236.00(Rs two hundard thirty six only)
Emd to be deposited through online RTGS/NEFT)	Rs.20000/- for each lots.
Address for communication	Farm Head, Central State Farm, National Seeds Corporation Ltdl.,10th K.M. Sirsa Road, Hisar
Contract Person with phone No. & E. mail	Jogender Singh, Manager (Production) 7007464745 e-mail ID csf.hisar@india seeds.com

This Tender Document contain Two parts
Technical Bid : Terms and condition of documents to be submitted by the Tenderer, nature o9f work to be performed by the supplier:
Financial Bid: Financial bid document

E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001
मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

_ C1 India Private Limited: Service provider to provide the e-Tendering Software.
_ NSCL e-Procurement Portal: An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited (“NSCL”) introduced for the process of e-tendering which can be accessed on https://indiaseeds.eproc.in.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

- It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency (Bidders can see the list of licensed CA’s from the link www.cca.gov.in) to participate in e-tendering of NSCL.
- C1 India Pvt. Ltd. Facilitates procurement of Class-III DSC’s. DSC Procurement request may be sent to jatin.kalra@c1india.comfor more details during NSCL working days.
- To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in) to have a user ID & Password which has to be obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3416/- inclusive of all taxes Online mode. Validity of Registration is 1 year.
- After making the payment through online mode (i.e. Net banking, Debit card, Credit Card), Vendors have to send an e-mail intimation to Helpdesk for their profile activation. The account will be activated within 24 working hours.
- All profile activations will be done only during NSCL working days. No profile activation will take place during NSCL Holidays &gazetted holidays.
- The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).
- To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from https://indiaseeds.eproc.in.
- To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 570/- inclusive of all taxes (Non-refundable) through Online mode (internet banking/debit card/credit card).
- Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published at NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in). The bidders who are MSE and registered with NSIC are exempted from paying EMD and tender document cost, for which they have to submit the documentary proof.
- For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support.

II. PREPARATION & SUBMISSION OF APPLICATIONS:

- Detailed NIT may be downloaded from NSCL e-tendering portal and the Application may be submitted compulsorily online mode following the instructions appearing on the screen / NIT.

- Vender can pay tender document Fee as per tender document online through Internet Banking / Debit Card/ Credit Card.

- A Vendor manual containing the detailed guidelines for e-tendering system is also available on the portal.

III. MODIFICATION / SUBSTITUTION/ WITHDRAWALOF BIDS:

- The Bidder may modify, substitute or withdraw it's e-bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified, substituted or withdrawn by the Bidder on or after the Bid Due Date.
- Any alteration/ modification in the Bid or additional information supplied subsequent to the Bid Due Date, unless the same has been expressly sought for by the NSCL, shall be disregarded.
- For modification of e-bid, bidder has to detach its old bid from e-tendering portal and upload / resubmit digitally signed modified bid.
- For withdrawal of bid, bidder has to click on withdrawal icon at e-tendering portal and can withdraw it's e-bid.

IV. OPENING AND EVALUATION OF APPLICATIONS:

- Opening of Applications will be done through online process. However, Corporation reserves the right for evaluation and decision based on tender submitted online.
- NSCL shall open documents of the Application received in electronic form of the tender on the Application due date i.e. in the presence of the Applicants who choose to attend. NSCL will subsequently examine and evaluate the Applications in accordance with the provisions set out in the Tender Document.

- The price bid will be opened of the responsive applicants after evaluation of the technical bids by the farm committee.

IV. DISCLAIMER :

The vender must read all the instruction in the RFP and submit the same accordingly

E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7 Dated -3.10.2020

No-CSF /6-70/Agri/2020/

Technical Bid Requirement

Particulars	**Details**
1- Copy of PAN No.	
2- Copy of GSTIN Registration	
3- Copy of Identity Card i.e. Adhar Card/ Driving Licence /Voter ID Card	
4- Registered Firm letter Head Copy if Any	
5- Affidavit regarding Non Black Listed of Firm by any Corporation and Institute	

E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7 Dated- 03.10.2020

No-CSF /6-70/Agri/2020/

Financial bid for sale of different type of standing trees at different chaks.

S.No.	Lot No.	Type of tree	Nos. of tree	Rater offered in Rs.
1	1	Popular	191	
	2	Popular	49	
	3	Popular	59	
	4	Popular	22	
2	5	Shisham	65	
	6	Shisham	55	
	7	Shisham	87	
	8	Shisham	69	
	9	Shisham	77	
	10	Shisham	54	
	11	Shisham	133	
	12	Shisham	51	
	13	Shisham	30	
	14	Shisham	36	
	15	Shisham	42	
3	16	Kiker	26	
	17	Kiker	53	
	18	Kiker	14	
4	19	Eucalyptus	31	
	20	Eucalyptus	23	
5	21	Fransh	37	
6	22	Misc	81	
	23	Misc	65	
	24	Misc	166	
	25	Misc	75	
7	26	Allenthis	140	
		Total	1731	

csf.hisar@indiaseeds.com
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001
मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7
No-CSF /6-70/Agri/2020/ Dated-3.10.2020

Lot wise and Girth-wise detail of Ecalyptus, Poplar, Shisham,and Kikar,frans and Misc trees

Kind of Trees	Lot No.	Chak No.	Girth in CM	No.of Trees
Popular	**01**	**Block No.1**	90-99	14
			100-109	18
			110-119	32
			120-129	31
			130-above	96
			Total	**191**
	02	**Block-2 17000,13000,21000,750000**	80-89	0
			90-99	25
			100-109	10
			110-119	7
			120-129	6
			130-above	1
			Total	**49**
	03	**Block-II 78/80000RD**	80-89	0
			90-99	31
			100-109	14
			110-119	10
			120-129	4
			130-above	0
			Total	**59**
	04	**EPO**	80-89	**0**
			90-99	6
			100-109	8
			110-119	4
			120-129	3
			130-above	1
			Total	**22**
SHISHAM	**5**	**Block-I 2000RD**	120-149	35
			150-179	14
			180-209	11
			210 & Above	5
			Total	**65**
	6	**Block-I 9000RD**	120-149	41
			150-179	13
			180-209	01
			210-above	0
			Total	**55**
	7	**Block-I 72000RD**	120-149	58
			150-179	18
			180-209	08
			210-above	03
			Total	**87**
	8	**Block-II 17000RD**	120-149	50

			150-179	13
			180-209	04
			210 & above	02
			Total	**69**
	9	**Block-II 13000RD**	120-149	54
			150-179	18
			180-209	05
			210-above	0
			Total	**77**
	10	**Block-II 21000RD**	120-149	28
			150-179	17
			180-209	09
			210-above	00
			Total	**54**
	11	**Block-II 78/800000RD**	120-149	87
			150-179	28
			180-209	10
			210-above	08
			Total	**133**
	12	**Block-III `23000RD**	120-149	32
			150-179	14
			180-209	02
			210-above	03
			Total	**51**
	13	**Block--3 38000RD/T/Plot/Dhandoor**	120-149	18
			150-179	06
			180-209	00
			210-above	06
			Total	**30**
	14	**Block-III 86000RDR**	120-149	23
			150-179	11
			210-above	02
			Total	**36**
	15	**Block-III 86000RDL**	120-149	26
			150-179	10
			180-209	05
			210-above	01
			Total	**42**
Kikar		**Block II**	120-149	15
	16		150-179	09
			180-209	01
			210 &Above	01
			Total	**26**
	17	**Block-III**	120-149	31
			150-179	16
			180-209	4
			210 &Above	2
			Total	**53**
	18	**EPO**	120-149	05
			150-179	07
			180-209	02
			Total	**14**
Eucalyptus	**19**	**17000RD**	120-149	4
		13000RD	150-179	5
		75000RD	180-209	1
		78/80000RD	120-149	13
		17000RD	150-179	5
		78/80RD	150-179	2
		17000RD	180-209	1
				31
	20	**23000rd**	120-149	2
		T/P	120-149	3
		86000L	120-149	2

		EPO	120-149	12
		38/T/P	150-179	2
		EPO	150-179	2
				23
Frans	**21**	20000RD	120-149	18
			150-179	13
			180-209	5
			210 &ABOVE	1
				37
MISC	**22**	**78/80000**	120-149	53
			150-179	17
			180-209	7
			210 &ABOVE	4
				81
	23	**17000RD**	120-149	15
			150-179	4
			210 &ABOVE	1
				20
		21000RD	120.149	11
			150-179	3
				14
		13000RD	120-149	**6**
		75000RD	120-149	10
			150-179	7
			180-209	7
			210 &ABOVE	1
				25
			G.Toatal	**65**
	24	**23000RD**	120-149	20
			150-179	9
			180-209	2
			210 &ABOVE	2
				33
		38/T/P/N	120-149	44
			150-179	27
			180-209	2
			210 &ABOVE	11
				84
		86000L	120-149	9
			150-179	12
			180-209	3
			210 &ABOVE	1
				25
		86000R	120-149	16
			150-179	6
			180-209	3
			210 &ABOVE	1
				24
			G.Total	**166**
	25	**20000RD**	120-149	11
			150-179	3
			180-209	3
				17
		68025RD	120-149	14
			150-179	7
			180-209	3
			210 &ABOVE	5
				29
		9000RD	120-149	10
			150-179	1
			180-209	1
				12
		72000RD	120-149	5
			150-179	8

			180-209	2
			210 &ABOVE	2
				17
			G.Total	**75**
Allenthis	**26**	**23000**	120-149	6
			150-179	2
				8
		38000	120-149	**2**
		T/plot	120-149	11
			150-179	6
			210 &ABOVE	3
				20
		Epo	120-149	87
			150-179	7
				94
		13000	120-149	**5**
		17000	120-149	6
			150-179	1
				7
		78/80000	120-149	**4**
				140
			G.Total	**1731**

csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7
No-CSF /6-70/Agri/2020/ Dated- 3.10.2020

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार

फार्म में विभिन्न चकों पर खड़े पेड़ों को बेचने के लिए निविदा–सह–नीलामी हेतु नियम व शर्ते

1 राष्ट्रीय बीज निगम के केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के अधिकार में खड़े पापलर, शीशम, सफेदा, कीकर व फ्रांश के वृक्षों व जलाऊ लकड़ी के विक्रय हेतु निविदा/नीलामी सूचना उपर दी गई तिथि के अनुसार निश्चित लाट संख्या में खड़े पापलर व शीशम के वृक्षों तथा जलाऊ लकड़ी को विक्रय किया जाना निश्चित किया गया है ।

2 विक्रय किए जाने वाले वृक्षों व जलाउ लकड़ी की बिक्री निविदा या नीलामी अथवा निविदा सह नीलामी द्वारा ''जैसा है जहाॅ है'' के आधार पर की जाएगी । इसके प्रयोजनार्थ वृक्षों की बिक्री के नियम एवं शर्ते निविदा/बोलीदाता भलीभांति जान–समझ ले तथा उसे स्वीकार कर हस्ताक्षर करें ।

3 निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा/बोलीदाता द्वारा वृक्षों की गुणवत्ता संख्या तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भांति जांच परख लेवे । वृक्षो की बिक्री के पश्चात इस संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद का अधिकार नहीं होगा ।

4 टैंडर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्रेता की पहचान तथा अन्य जानकारी के प्रयोजनार्थ कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, खेत का खसरा–खतोनी तथा पैन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा । यदि बोली दाता/ठेकेदार कोई सांझीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज (सांझेदारों से संबंधित हो) पेश करे । यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे टैंडर/नीलामी में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र, कम्पनी का पजीकरण प्रमाण–पत्र, वित्तीय स्थिति व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा उक्त वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान–पत्र, पैनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर निविदा के साथ संलग्न/नीलामी के समय जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पते के कारण अथवा डाक विभाग द्वारा हुई देरी/त्रुटि से यदि कोई पत्र/सूचना निविदा/बोलीदाता के पास उचित समय में नहीं पहुॅचती है तो फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।

5 फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिये निविदा अथवा बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें । इस विषय में फार्म प्राधिकारी किसी प्रकार से कारण सूचित करने को बाध्य नहीं होगा ।

6 कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसे राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी कार्यालय/फार्म द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो, जिस पर निगम की बकाया धनराशि देनदारी हो, जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी या शासन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, अवयस्क हो या किसी भी प्रकार से निविदा/नीलामी के कार्य के अयोग्य हो, ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था निविदा अथवा नीलामी में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपा कर भाग लेता है तो फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि किसी भी स्तर पर ठेका निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि स्वतः जब्त हो जाएगी तथा **शर्त संख्या 38** के अनुसार भी जमा धनराशि समायोजित की जाएगी ।

7 प्रत्येक बोलीदाता को बोली/टैंडर में भाग लेने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) निश्चित प्रपत्र में व ठेके की शर्तो की स्वीकृति में उस पर पूरे हस्ताक्षर

कर, डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर द्वारा जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम देय हो/एकाउंट न० 33957537351 (SBI) स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा New Grain Market, Hisar आईएफसी कोड IFSC Code No. SBIN0005700 में जमा करनी होगी । वृक्षों की बोली लाट के हिसाब से अलग-अलग की जायेगी प्रत्येक लाट की बोली हेतु निम्नलिखित धरोहर राशि अलग-अलग जमा करनी होगी ।

ए. प्रथम/ पहले लाट हेतु धरोहर राशि : रू0 20,000/-

बी. प्रथम लाट के साथ अन्य प्रति लाट हेतु धरोहर राशिः रू0 10,000/-

8 धरोहर राशि के लिए चैक या लिफाफे में रखी गई नकद राशि मान्य नहीं होगी । साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो उस निविदा को निरस्त किया जा सकता है । असफल निविदा/बोलीदाता को धरोहर राशि फार्म के खाते में जमा होने के बाद दो कार्य दिवस में चैक द्वारा अथवा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अदा कर दी जायेगी ।

9 निविदा दाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापिस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।

10 निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नही होगी । निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार का निविदा, फैक्स व पत्र/ईमेल/अनुशंषा/अवांछित दबाव मान्य नहीं होगा ।

11 सफल निविदा/बोलीदाता को निविदा राशि के **10% की दर से** प्रतिभूति राशि भी 03 दिवस में जमा करनी होगी ।

12 सफल निविदादाता/बोलीदाता को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत धनराशि उसी समय अथवा अधिकतम 03 दिवस के अंदर जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी । बकाया राशि/राशियों को जमा करने में विलम्ब होने पर अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस के अंदर 18% वार्षिक की दर से ब्याज सहित पूर्ण राशि फार्म प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर जमा करनी होगी ।

13 प्रतिभूति तथा प्रारम्भिक 25ः राशि जमा करने हेतु समान्यतः कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा । यदि शेष 75% संपूर्ण देय राशि अतिरिक्त 15 दिवस बढ़ाई गई समय सीमा के अन्दर ही जमा नहीं की जाती है तो उस दशा में क्रेता द्वारा जमा की गई राशि में से धरोहर एवं प्रतिभूति राशि फार्म द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धन राशि बिना ब्याज क्रेता को अदा की जाएगी । इस स्थिति में ठेका स्वतः रद्द हो जाएगा जिसके लिए क्रेता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा । इस स्थिति में संबंधित वृक्षों के संबंधित लाटों को दोबारा विक्रय करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा

14 क्रेता द्वारा ठेके की सम्पूर्ण राशि फार्म को अदा करने पर ही फार्म प्राधिकारी द्वारा वृक्षों की कटाई का स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

15 वृक्षों के पातन-कटाई हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिन से 90 दिवस समय सीमा के भीतर सभी वृक्षों की कटाई कर फार्म से ले जाना होगा । ज्यों ही वृक्षों की कटाई का अधिकृत समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का वृक्षों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा । वृक्षों की कटाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी । तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर 90 दिवस के उपरान्त निम्नलिखित दर से भूमि कर **(Ground Rent)** चुका कर शेष पेड़ काटने हेतु अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती हैः

i) प्रथम अतिरिक्त 30 दिवस रू0 5/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से

ii) द्वितीय अतिरिक्त 60 दिवस रू010/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से

16 यदि क्रेता प्राधिकृत समय सीमा तथा अतिरिक्त प्रावधानिक समय सीमा के बाद भी विक्रय किये गये सभी वृक्षों के लाट को किसी भी कारण से नहीं ले जाता है तो उस दशा में **शर्त संख्या 38** के अनुसार क्रेता द्वारा जमा धन राशि को फार्म द्वारा जब्त कर लिए जाने का पूर्ण अधिकार होगा ।

17 क्रेता को विक्रय किए गए वृक्ष लॉट को एक ओर से काटना होगा तथा चुन कर/छांट कर काटने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा ।

18 क्रेता पूर्ण जानकारी के बाद ही मात्र खरीदे गये लॉट के पेड़ों की कटाई करेगा । यदि जानबूझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ काट लिया जाता है या कोई अन्य लकड़ी ले जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी केता से वसूल करने का अधिकारी होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा । यदि क्रेता या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते है तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दें तथा **शर्त संख्या 30 एवं 38 के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है ।**

19 यदि फार्म द्वारा निकट के खेतों में खड़ी फसलों को वृक्षों के पातन-कटाई से होने वाली हानि, जलभराव की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण से फार्म के हित को ध्यान में रखते

हुए यदि वृक्षों के पातन–कटाई का कार्य रोका जाता है तो क्रेता को कार्य रोके जाने वाली समय अवधि के बराबर अधिकृत समय बिना भूमि कर वसूल किये दिया जायेगा ।

20 यदि किसी प्रशासनिक बाध्यता/शासकीय आदेश/न्यायालय आदेश के अनुसार ठेका स्थगित या निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रय में से शेष बचे वृक्षों के एवज में फार्म द्वारा आकंलित कीमत क्रेता को बिना ब्याज वापस की जा सकती है ।

21 ठेका समाप्त होने पर संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर कि क्रेता अथवा उसके कार्यकर्ता के कार्य कलापों से फार्म को किसी प्रकार की परोक्ष–अपरोक्ष हानि नहीं हुई है तथा कार्य शर्तों के अनुरूप पूरा किया गया है, सफल निविदा/बोली दाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा फार्म प्राधिकारी को उसका ठेका रद्द करने का भी अधिकार होगा ।

22 सफल निविदा/बोली दाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा । इसकी अवहेलना करने पर ठेका रद्द कर दिया जासेगा तथा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ **शर्त संख्या 30 एवं 38 के अनुसार** कार्यवाही का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा ।

23 विक्रय किये गये वृक्षों को काट कर लेजाने हेतु ठेकेदार द्वारा जो आदमी लगाये जायेगें उनकी सूची पते सहित फार्म प्राधिकारी को देनी होगी । फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण सूचित किये किसी भी अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दें तथा उक्त व्यक्ति के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे ।

24 खड़े वृक्षों की बिक्री पूरे लॉट/वृक्ष संख्या के अनुसार होगी ।

25 पेड़ों की लकड़ी ले जाने के लिये ट्रांसिट परमिट की व्यवस्था तथा लकड़ी ढुलाई के लिये परिवहन आदि का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं अपने खर्चे पर करना होगा ।

26 ठेकेदार को राज्य एवं केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदा दाता की शासन संबंधित वन अधिनियम तथा समय–समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा । यदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लघंन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

ठेकेदार/क्रेता निगम के पक्ष में एक **क्षतिपूर्ति बॉन्ड इंडमनिटी बाण्ड** इस आशय के साथ देगा कि उसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना, नियम अथवा वन सम्बन्धी कानून की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से उल्लघंन हेतु वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके द्वारा नियम एवं कानून की किसी प्रकार के अन देखी या उल्लंघन की दशा में निगम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नही होगा एवं यदि किसी भी प्रकरण में ठेकेदार के कृत्य हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है तो उस दशा में सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के साथ न्यायालय एवं अन्य सम्बंधित खर्चे ठेकेदार को वहन करने होंगे।

27 यदि कोई व्यक्ति खरीददार की जानकारी के बिना नीलाम वृक्ष काटते हुए पाया गया तो खरीददार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है । यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को विभागीय कार्यवाही हेतु देगा।

28 वृक्षों की निविदा–नीलामी/बिक्री ''जैसा है जहॉ है'' आधार पर की जाएगी। बिक्री किए गये पेड़ों को किसी भी कारण से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा । नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, आग लगना, आंधी–तूफान, बिजली, बीमारी, दीमक–कीड़ों, चोरी आदि (प्राकृतिक/अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा । बोलीदाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा ।

29 ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता को फार्म में अवांछित असम्बंधित गतिविधियां, फार्म कार्यकलापों में रूकावट/व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालन, कोई निमार्ण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बंधित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने अथवा फार्म की संपत्ति को कोई हानि होती है अथवा फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों से विवाद होता है तो इस के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा । इस दशा में की गई हानि का आर्थिक अथवा वैधानिक/न्यायिक हर्जाना/कार्यवाही ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी । किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा । उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषिद्द किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी जमा राशियां जब्त कर ली जायेगी ।

30 <u>यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार–बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को शर्त सं0 38 के अनुसार निरस्त/रद्द कर ठेकेदार को निश्चित अवधी के लिए ब्लैक लिस्ट कर निगम के फार्मो/क्षेत्रीय कार्यालयों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दे । विवाद, झगड़ा मतभेद के मामले में फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी का निर्णय क्रेता/ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।</u>

31 ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है । ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे ।

32 ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी कृषि कार्य/कार्यो पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यो को निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें ।

33 इस अनुबन्ध के अंतर्गत वृक्षों से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (TP) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता/ठेकेदार को निविदा–नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा ।

34 नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार वृक्षों की सुरक्षा कटाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त कार्य अपने जोखिम व खर्चे पर करेगा ।

35 पारगमन परमिट क्रेता द्वारा स्वयं ही अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।

36 <u>वृक्षों को जड़ सहित काटना होगा । जड़ एवं लकड़ी ले जानी होगी । जड़ उखाड़ने से हुए गड्ढे को भरना होगा । *(आवश्यकता/प्रावधान अनुसार)* ठेकेदार/क्रेता द्वारा अवहेलना की दशा में वृक्ष की औसत कीमत की 20 प्रतिशत के बराबर की धन राशि धरोहर एवं प्रतिभूति राशि में से जब्त कर ली जाएगी ।</u>

37 पेड़ो के पातान–कटाई से सड़क अवरूद्ध नहीं होनी चाहिए एवं वाहनों – मशीनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए । पेड़ों के पातान, कटाई अथवा सड़क रास्ते लकड़ी ले जाने पर फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए ।

38 <u>इस निविदा – नीलामी सौदे के अंतर्गत नियत किसी भी नियम एवं शर्त की खरीददार, उसके प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवहेलना करने पर फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द/समाप्त कर दे तथा काटे गए वृक्षों की फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई धन राशि, प्राविधानिक भूमिकर तथा ठेके के अंतर्गत क्रेता द्वारा फार्म में जमा की गई धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ले ।</u>

39 वृक्षों/लकड़ी को फार्म से बाहर ले जाने के लिए दिवस समय सीमा का निर्धारण फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा । साधारणतः यह अनुमति कार्य दिवस में प्रात 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी । कटे वृक्ष फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा ।

40 ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा । इस मामले में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा साथ ही उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है ।

41 इस सौदे के लिए रू0 100/– (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार द्वारा ठेके के अंतर्गत विक्रय किए गए पेड़ों का विवरण तथा सौदे के नियम व शर्तो पर करार <u>**(Agreement)** तथा रू. 100/–(एक सौ) के</u>
<u>स्टाम्प पेपर पर शर्त संख्या 26 के अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड **(Indemnity Bond)** पर दो गवाहों की उपस्थिति में फार्म के साथ अनुबंध करना</u> आवश्यक होगा । स्टाम्प पेपर का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं करना होगा । उपरोक्त दोनों अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 07 कार्यदिवस के अन्दर करने होंगे ।

42 यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से विवाद को सुलझााने का प्रयास करेंगे । विवाद न सुलझने की स्थिति में, इस करार से संबंधित पक्षकार के आवेदन पर, सम्बंधित विवाद को समय–समय पर संशोधित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 **(Arbitration & Condiliation Act, 1996)** के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ **(Indemnity**

Bond) के द्वारा निपटान किया जाएगा जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा । पक्षकार विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा न्यायालय जाने से पूर्व आर्बिट्रिशन के माध्यम से करेंगे।

घोषणाः– मैंने फार्म में खड़े पेड़ों/वृक्षों को खरीदने हेतु निविदा–सह–नीलामी की शर्तें पढ़ ली हैं । उक्त सभी शर्ते मुझे मान्य है तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो–हवाश में किये है। मेरे द्वारा सभी शर्ते स्वीकार की गई है तथा ये नियम तथा शर्ते राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म हिसार के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का अभिन्न अंग/भाग मानी जायेगी ।

आरबीट्रेशन

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में मामले का समाधान / निपटारा ।तइपजतंजपवद – ब्वदबपसपंजपवद ।बज 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन ;।तइपजतंजपवदद्ध की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/ अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड द्वारा इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी । विवाचन का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन ;।तइपजतंजपवदद्ध के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये । विवाचन ;।तइपजतंजपवदद्ध का स्थान हिसार होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल हिसार स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा ।

प्रबंधक (उत्पादन)

स्थानः हिसार

दिनांक ....

मैने उपरोक्त फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यो के ठेके की सभी नियम व शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मै ठेका आंबटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तो की अनुपालना करने को तैयार हूं ।

निविदा/बोली दाता के हस्ताक्षर